

न्यायालय सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापूर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 124/2017

दायर तारीख 12/10/2017

अनवान

01. श्रीमती सविता देवी पत्नि जगदीशचन्द्र जोशी निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

.....वादीया

बनाम

01. श्रीमती महताब बाई पत्नि भैरूलाल महाजन (पामेचा)
02. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी लक्ष्मणलाल कुम्हार
03. श्रीमती पिंकीदेवी पत्नी कैलाशचन्द्र रेगर,
04. श्रीमती रमादेवी पत्नी सुरेशचन्द्र रेगर
05. श्रीमती शमीम पत्नी युसुफ मोहम्मद रंगरेज
06. श्रीमती मीना पत्नी आबीद मोहम्मद मंसूरी
07. श्री गनी मोहम्मद वल्द कासम मंसूरी
08. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी नवनीत कुमार लड़ा, (हाल मु0 महेशनगर कॉलोनी राजनगर तह0 राजसमन्द जिला राजसमन्द)
09. पवन कुमार पिता सोहनलाल पामेचा
10. सत्यनारायण पिता प्यारचन्द शर्मा
11. श्रीमती सीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश माली
12. श्रीमती भगवन्ती पत्नी प्यारचन्द सुथार
13. श्रीमती नर्बदा पत्नी मनोहरलाल सेन
सर्व निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण


उपस्थित :- श्री जे0सी0 व्यास, अधिवक्ता वादीया
श्री सुनिल कुमार जैन, अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 11 व 13

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 28/01/2020

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 03.05.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां स्थित आराजी नं0 4341 रकबा 0.32हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.32हे0 भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी0डी0/2649/186 दिनांक 26.12.2019 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।


सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा


लगातार.....02

ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां स्थित आराजी नं० 4341 रकबा 0.32हे० कुल किता 01 कुल रकबा 0.32हे० भूमि का ही विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादीया द्वारा स्वीकार है।

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।


क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	सवितादेवी पत्नी जगदीशचन्द्र शर्मा सा. देह खातेदार	पोटलां	4341/1	0.0446
		योग	1	0.0446
2	नर्बदा पत्नी मनोहरलाल सेन सा देह खातेदार	पोटलां	4341/2	0.0223
		योग	1	0.0223
3	सीतादेवी पत्नी ओमप्रकाश माली सा. देह खातेदार	पोटलां	4341/3	0.0223
		योग	1	0.0223
4	पिंकीदेवी पत्नी कैलाशचन्द्र रमा पत्नी सुरेशचन्द्र रेगर सा. देह खातेदार	पोटलां	4341/4	0.0259
		योग	1	0.0259
5	कृष्णादेवी पत्नि लक्ष्मणलाल 223/2049 कुम्हार गनी मोहम्मद पुत्र कासम 362/2049 मुसलमान निर्मलादेवी पत्नी नवनीत कुमार 90/2049 लड़ा पवनकुमार पुत्र सोहनलाल 167/2049 पामेचा भागवन्ती पत्नी प्यारचन्द 223/2049 सुथार महताबबाई पत्नी भैरूलाल 223/2049 महाजन मीना पत्नी आबिद मौहम्मद 289/2049 मंसूरी शमीम पत्नी युसुफ मौहम्मद 304/2049 रंगरेज सा० देह सत्यनारायण पुत्र प्यारचन्द 168/2049 शर्मा सा० सातलियास खातेदार	पोटलां	4341/5 4341/6	0.1360 0.0689
		योग	2	0.2049

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।


(विकरस पंचोली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को लिखवागा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर जिला भीलवाड़ा